न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 75/2012

1 अनोप कंवर पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी नाथावतपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सिरे कंवर पुत्री शैतानसिंह पत्नी भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी नेणीया तहसील परवतसर जिला नागौर।
2 प्रभुसिंह पुत्र शैतानसिंह।
3 घीसूसिंह पुत्र किशोरसिंह।
4 भंवरी बेवा मुकन्दसिंह।
5 बली कंवर बेवा किशोरसिंह।
6 सुन्दर सिंह पुत्र भंवरसिंह।
7 भरतसिंह पुत्र भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण श्यामपुरा तहसील व जिला सीकर।
8 गजानन्द पुत्र रतनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ताजसर करणावतान तहसील व जिला सीकर।
9 छोटूराम पुत्र रूड़ाराम जाति जाट।
10 सवाईसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासीगण श्यामपुरा तहसील व जिला सीकर।
11 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोतवाली रोड़ सीकर जरिये प्रबन्धक।
12 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर।
13 पटवारी पटवार हल्का श्यामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का सिहोट छोटी तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 उप पंजियक उप पंजियक कार्यालय सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक
कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 154/2008
उनवानी प्रभुसिंह आदि बनाम भंवरी देवी आदि
दिनांकित 07.10.2011

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुरूषोतम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री भीवाराम मील, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 154/2008 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 11.02.2007 को अपीलाधीन को अपीलाधीन वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में दिनांक 16.01.2008 को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत है। दिनांक 28.01.2008 को अपीलांट द्वारा भी एक आवेदन पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकारन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किया गया। दिनांक 09.08.2008 को अपीलाधीन वाद विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष स्थानान्तरित हो गया। पत्रावली दिनांक 07.10.2011 को उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 को पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्रों के जवाब हेतु निर्धारित चली आ रही थी। परन्तु विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा दिनांक 02.10.2011 को निराधार निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। जिसके बारे में अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 30.09.2011 को अपीलांट के वकील ने अपीलांट को यह आश्वासन दिया था कि अभी पत्रावली में दोनों प्रार्थना पत्रों बाबत बनाने पक्षकार का निर्णय होना है। मामला राजस्व प्रकृति का है। आपको हर तारीख पेशी पर आने की जरूरत नहीं है। मुकदमें के निस्तारण मे देरी लगना लाजमी है। वकील के आश्वासन के कारण अपीलांट ने दिनांक 30.09.2011 के पश्चात सद्भाविक रूप से न तो प्रकरण मे आगामी तारिख पेशी के बारे में जानकारी की तथा ना ही वकील से कोई सम्पर्क ही किया। दिनांक 21.02.2012 को जब अपीलांट ने अपने वकील से सम्पर्क करके प्रकरण की प्रगति के बारे में जानकारी चाही तो उसे यह जानकारी दी गयी कि मुकदमें का निस्तारण दिनांक 07.10.2011 को ही आपके खिलाफ हो चुका है, इस पर अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर नकल दिनांक 22.02.2012 को प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में सर्व प्रथम जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष दिनांक 07.10.2011 को पत्रावली अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्रों के जवाब हेतु नियत थी। पत्रवली में नियमानु सार दोनों प्रार्थना पत्रों का गुणावगुण पर निर्णय किए जाने के पश्चात दोनो पक्षकारों का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम की जाकर तथा दोनों पक्षकारों की शहादत लेकर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर बिना विधिक प्रकिया अपनाये सीधे ही विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये धारा 5 का लाभ दिया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलांट प्रकरण के प्रति सजग नही रहा है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति करने का अधिकार है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष दिनांक 07.10.2011 को पत्रावली अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्रों के जवाब हेतु नियत थी। पत्रवली में नियमानुसार दोनों प्रार्थना पत्रों का गुणावगुण पर निर्णय किए जाने के पश्चात दोनो पक्षकारों का जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम की जाकर तथा दोनों पक्षकारों की शहादत लेकर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर बिना विधिक प्रकिया अपनाये सीधे ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर